न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र संख्या : 155/2024

प्रार्थी | अप्रार्थी

कालूराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

किस्म मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131,136 भू.राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/1/2025	प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया कर निवेदर किया गया कि ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी के खसरा 186/4 रकबा 1.2950 हैक्टर भूमि आई हुई है। पूर्व मे मूल खसरा नम्बर 180 186 186/1/1 भूमि नारायणराम के नाम से सम्वत 2051 से 2053 खेवट खतौनी संख्या नई 51 व पुरानी 45 खातेदारी मे दर्ज थी नारायणराम ने उक्त खसरान की भूमि मे से खसरा नम्बर 186/1/1 रकबा 12 बीधा 17 बिस्वा भूमि के कृषि भूमि से रहवासीय मे परिवर्तन करवाया जिसका नामान्तरकरण संख्सा 221 श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार लूणी कि आदेश क्रंमाक 94/1383 दिनांक 17.08.1994 की पालना मे भरा गया तत्पश्चात उक्त खसरान् की जमाबन्दी निरस्तर चली आ रही है प्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व रेकर्ड खेवट खतौनी संख्या नई 130 व पुरानी 159 मे दर्ज गलत खसरा नम्बर 186/4 रकबा 1.2950 हेक्टर किस्म गे0मु0 रहवासीया को शुद्वि कर खसरा नम्बर 186 रकबा 1.2950 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय किया जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किया गया प्रकरण मे मौका जॉच रिपोर्ट वास्ते तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्र कंमाक/भूअ/2024/3756 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा प्रकरण मे मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई मोका जॉच रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण मे ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 186, 186/1/1, 180 जरिये विभाजन नामान्तरकरण संख्या 106 के द्वारा नारायणराम पुत्र जोगाराम जाति भील सा देह खातेदार के नाम खसरा नम्बर 180 रकबा 17.03 बीधा खसरा नम्बर 186 रकबा 8.01 बीधा खसरा नम्बर 186/1/1 रकबा 16.19 बीधा दर्ज हुआ नारायणराम पुत्र जोगाराम द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 186 के द्वारा पुनाराम वगैरा जाति भील को खसरा नम्बर 186 रकबा 8.01 बीधा बेचान किया जो वर्तमान मे जमाबन्दी मे खसरा नम्बर 186 रकबा 8.01 बीधा किस्म गो.मु	

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

(3)

रियाहसी दर्ज है। नारायणराम द्वारा खसरा नम्बर 186/1/1 रकबा 16.19 बीधा मे से 4.02 बीधा भेराराम देवाराम बस्तीराम शैतानराम को बेचान कर दी गई जिसका नामान्तरकरण संख्या 173 के जरिये राजस्व रेकर्ड मे अंकन किया गया खसरा नम्बर 186/1/1 के शेष रकबा 12.17 बीधा मे से नारायणराम द्वारा 8 बीधा किस्म गे.मु.रियाहसी ग्राम पंचायत सांगरिया के नाम दर्ज जरिये नामान्तरकरण संख्या 221 के द्वारा राजस्व रेकर्ड मे अकन हुआ बाद मे उक्त 8 बीधा पुन जरिये नामान्तरकरण संख्या 480 के द्वारा खातेदार नारायणराम के नाम दर्ज हुआ बाद मे नारायणराम द्वारा 28/06/1995 को जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दी। नारायणराम के नाम शेष भूमि 0.09 बीधा ही है जो वर्तमान जमाबन्दी मे खसरा नम्बर 186/9 रकबा 0.09 बीधा दर्ज है तथा तहसीलदार लूणी प्रकरण मे खसरा नम्बर 186 के स्थान पर 186/4 दर्ज हो गया तथा उक्त प्रकरण को खारिज किया जाने की अनुशंषा की गई।

अतः– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र तहसीलदार लूणी की अनुशंषा के आधार पर स्वीकार योग्य प्रतीत नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)